6

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-2/2006/9-1 भोपाल, दिनांक 14/08/2006

014208

प्रति,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

23 AUG 2006

विषय:- गोपनीय चरित्रावली में मतांकन

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक 1580/2982/94/9/एक, दिनांक 06.09.94 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ 5-4/98/9/1 दिनांक 13.01.99 एवं एफ 5-4/99/9 एक, दिनांक 16.08.99

जैसा कि आप अवगत है सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग - एक क्रमांक 7 में वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के संबंध में विस्तृत निर्देश हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागों को समय समय पर इस संबंध में सामान्य निर्देश भी जारी किए गए हैं। शासन के ध्यान में एक विभाग द्वारा ऐसा प्रकरण आया है, जिसमें विभाग ने एक अधिकारी के प्रकरण में स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा दी गई "ग" (आसत) श्रेणी को, संबंधित अधिकारी द्वारा काफी समय पश्चात् दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर अमान्य करते हुए प्रतिवेदक/ समीक्षक अधिकारी द्वारा दी गई "उत्कृष्ट" श्रेणी को मान्य करने संबंधी आदेश प्रसारित किए हैं, जो निर्देशों के अनुरुप नहीं है।

2/ उक्त संदर्भित ज्ञापनों का स्पष्ट मंतव्य है कि शासकीय सेवकों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में लिखी गई प्रतिकूल टीकाएं एवं सुझावात्मक टीकाओं को ही संबंधित अधिकारी को संसूचित किया जाना चाहिए और जब सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिकूल टीका विलोपित करने का निर्णय लिया जाता है तो सामान्यतः स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा दी गई श्रेणी को ही अंतिम मान्य किया जाता है, परन्तु यदि प्रतिकूल प्रविष्टि का कुछ भाग बचता है तो उसके आधार पर समग्र मूल्यांकन कर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्रेणी निर्धारित की जाती है। यदि किसी गोपनीय चरित्रावली में विरोधाभासी प्रविष्टियां हो या फिर यदि स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिवेदक अधिकारी एवं समीक्षक अधिकारी द्वारा दी गई टीकाओं से असहमति व्यक्त करते हुए निम्न श्रेणी का मत दिया गया है तो उन पर विचार कर अंतिम मूल्यांकन करने का दायित्व एवं अधिकार पदोन्नति समिति का है। अतः पदोन्नति (क्रमोन्नति भी) के मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निर्धारित श्रेणीकरण ही अंतिम रुप से मान्य किया जाना चाहिए।

3/- वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में अंकित "ग" श्रेणी को संसूचित करने अथवा विलोपित करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः अपेक्षा है कि वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के संबंध में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-एक क्रमांक 7 एवं समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ- 5-2/2006/9-1 भोपाल, दिनांक 11/08/2006

प्रतिलिपि

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल
7. सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग, भोपाल
10. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
11. महाधिवक्ता/ उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/ खंडपीठ/ इंदौर/ ग्वालियर
12. प्रमुख सचिव/ सचिव/ अपर सचिव/ उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
13. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन
14. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल
17. निज सचिव, अध्यक्ष (राज्य मंत्री दर्जा) मध्यप्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
18. अध्यक्ष, शासन से मान्यता प्राप्त सभी संगठन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11/8/06

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग